# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2022 (उदयपुरआर्डर)

श्रीमती अणसा बाई पुत्री लालाराज जी दर्जी पत्नी श्री कन्हैयालाल दर्जी, निवासी गुन्दाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर हाल गांव गुड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)

................. अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संतोषी पुत्री हीरालाल दर्जी, निवासी गुन्दाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
2. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री हीरालाल दर्जी, निवासी गुन्दाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
3. रतनलाल पिता केसूलाल दर्जी, निवासी गुन्दाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
4. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री केसूलाल दर्जी, निवासी गुन्दाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
5. रतनलाल (माता कंकूबाई पुत्री लालाराम जी दर्जी) पिता हिमा जी दर्जी, निवासी माडचा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. जेतालाल (माता कंकूबाई पुत्री लालाराम जी दर्जी) पिता हिमा जी दर्जी, निवासी माडचा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. जगदीश (माता लहरीबाई पुत्री लालाराम जी दर्जी) पिता देवीलाल जी दर्जी, निवासी दर्जियों की भागल सांगठ, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर (राज.)
8. हीरालाल (माता गमेरीबाई पुत्री लालाराम जी दर्जी) पिता बंशीलाल जी दर्जी, निवासी केलवाड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. मांगीलाल (माता गमेरीबाई पुत्री लालाराम जी दर्जी) पिता बंशीलाल जी दर्जी, निवासी केलवाड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
10. रूपलाल (माता तलसीबाई पुत्री लालाराम जी दर्जी) पिता भंवरलाल जी दर्जी, निवासी समीचा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
11. राकेश कुमार पिता डालचन्द जी जैन, निवासी गुन्दाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्डअधिकारी, गोगुन्दा प्रकरण संख्या 102/2021दिनांक16.05.2022

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)

1. श्री कुन्दनसिंह सोनीअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री सुरेश त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. मोनिका जैन अभि.रे.सं. 3 से 5, 7 से 11
4. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक 19—12—2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस [illegible] कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया किप्रार्थीया एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की मौरूसी कृषि भूमि ग्राम गुन्दाली में स्थित है, जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष लालाराम पिता दौला जी दर्जी थे, जिनके एक पुत्र केसूलाल व पांच पुत्रियां कंकुबाई, लेहरीबाई, गमेरीबाई, तलसीबाई व अणसाबाई है। इस प्रकार प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार संयुक्त रूप से काबिज चली आ रही है। केसुलाल काफी चुस्त व चालाक होने से लालाराम की मृत्यु पर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया, जबकि लालाराम की पुत्रियां का भी विवादित आराजियात में केसूलाल के समान ही हक अधिकार निहित है। भूमि केसूलाल के नाम दर्ज हो जाने से विरासत से उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गयी। प्रार्थीया ने केसुलाल के वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 को उक्त आराजियात में अपने हक हिस्से अनुसार नाम कराने को कहा तो उक्त सड़क के पास वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने से मना कर दियातथा प्रार्थीया को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर तहसीलदार गोगुन्दा की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16–05–2022 को निर्णय पारित करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14–12–2021 को निरस्त कर प्रकरण में शेष कार्यवाही नहीं होना मानते हुए इसी स्तर पर प्रकरण ड्रोप कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 व 7 से 11 की ओर से वकील मोनिका जैन उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया किमूल पुरूष लालाराम जी के स्वर्गवास के बाद केसुलाल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तकरण केवल अपने नाम दर्ज करवा लिया, पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं करवाया। भूमि केसुलाल के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:29 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज होने से विरासत से उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी। इसी कारण अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद के साथ–साथ अस्थायी निषेधाज्ञा की दाद हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद के निस्तारण तक अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही, जिसपर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14–12–2021 को अपीलान्ट के पक्ष में अंतरित निषेधाज्ञा जारी की, किन्तु बाद में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के जवाब के आधार पर अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा नहीं होना मानते हुए अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज करते हुए प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप कर दी, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकरअपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, गोगुन्दा की मौका रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत, गुन्दाली के सजरे के आधार पर विवादित आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती संतोषी पुत्री हीरालाल को प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होना मानते हुएतथा भूमि उसके पिता के खातेदारी में दर्ज होने के आधार पर उसके विरूद्ध दिनांक 14–12–2021 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञाआदेश को निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–05–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(अनीता मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:29 IST
Reason: SelfAttested